

वन विभाग, हरियाणा सरकार  
कार्यालय उप वन संरक्षक, गुरुग्राम  
वन परिसर, सोहना रोड, नजदीक न्यायालय परिसर, गुरुग्राम, दूरभाष-0124-2655401

क्रमांक: 354-6  
प्रेषित:

दिनांक: 8/5/17

Executive Engineer,  
Provincial Division No. II,  
PWD B&R Br., Gurugram

विषय:- Diversion of 4.321 hac. of forest land for Improvement of Khandsa (NH-8)  
Via Fazilpur Behrampur, Km. 0.00 to 4.52, Under Forest Division and Distt.  
Gurugram. (FP/HR/ROAD/22517/2016 )

सन्दर्भ:- वन संरक्षक (केन्द्रीय) का पत्र क्रमांक 9-HRB083/2017-CHA दिनांक 02.05.2017

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सन्दर्भित पत्र द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आपके प्रस्ताव में निम्नलिखित आपत्तियां लगाई गई हैं। आपको लिखा जाता है कि निम्नलिखित आपत्तियां दूर करके शीघ्र इस कार्यालय को भिजवाये तथा उपायुक्त, गुरुग्राम के कार्यालय से प्रमाण पत्र भी शीघ्र प्राप्त करके online करें ताकि आपके प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जा सके। देरी के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

1. Competent authority uploaded online at column A-3(xvii) of part I is not correct.
2. Original hard copy of FRA Certificate and the same be uploaded as additional document in part I online.

पृ० क्रमांक 355-58-6  
एक प्रति:-

1. मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा-1, हरियाणा, गुरुग्राम
2. वन संरक्षक दक्षिणी परिमण्डल, गुरुग्राम
3. उपायुक्त, गुरुग्राम को पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.10.2014 के सन्दर्भ में दो प्रतियों में मूल प्रमाण पत्र जारी करने बारे अनुरोध किया जाता है।
4. नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ.सी.) हरियाणा, पंचकूला, को सूचनार्थ प्रेषित है।

दिनांक 8/5/17

उप वन संरक्षक,  
गुरुग्राम।  
5/5/17  
04/05/17

उप वन संरक्षक,  
गुरुग्राम।  
5/5/17  
04/05/17  
411